भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3024

मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता और उत्पादन

3024 श्री कार्तिकेय शर्मा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान संस्थापित क्षमता और उत्पादन कितना है;
(ख) क्या सरकार दिन के दौरान उत्पादित अतिरिक्त अप्रयुक्त सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कोई कदम उठा रही है;
(ग) सरकार द्वारा शुद्ध सौर ऊर्जा उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) राज्य-वार कुल संस्थापित सौर क्षमता कितनी है; और
(ङ) क्या हरियाणा राज्य के लिए कोई नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ विचाराधीन हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) दिनांक 31.7.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संस्थापित क्षमता का स्रोत-वार विवरण निम्नलिखित है:

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोत	**स्थापित क्षमता (गीगावाट में)**
सौर	119.02
पवन	52.14
जैव विद्युत (बायो पावर)	11.60
लघु जल विद्युत	5.11
बड़ी जल विद्यु	49.63
कुल	**237.50**

साथ ही, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की विद्युत उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से देश में कुल विद्युत उत्पादन 119.77 बिलियन युनिट (बीयू) है। स्रोत-वार विवरण निम्नलिखित है:

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोत	**अप्रैल-जून 2025 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन (बीयू में)**

सौर	43.04
पवन	31.88
जैव ऊर्जा (बायो पावर)	1.82
लघु जल विद्युत	2.64
बड़ी जल विद्यु	39.66
अन्य	0.73
कुल	119.77

(ख) पवन और सौर ऊर्जा से प्राप्त नवीकरणीय विद्युत अस्थिर और अनिरंतर प्रकृति की होती है। अतिरिक्त अप्रयुक्त सौर विद्युत का उपयोग करने के लिए, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा भंडारण प्रणालियां, अनिरंतरता और अस्थिरता को दूर करके तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करके ग्रिड स्थिरता को बढ़ाती हैं। सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रकाशित किया गया।

(ii) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली शुल्कों पर छूट प्रदान की गई।

(iii) लगभग 43 गीगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण को स्वीकृति दी गई।

(iv) ग्रिड स्थिरता और लागत दक्षता बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को सह-स्थापित करने पर एक परामर्श (एडवाइजरी) जारी किया गया।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों से घरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर विद्युत की ग्रिड में निकासी की जाती है और घरों को कुल बिल से बिजली के उन यूनिटों की भरपाई की जाती है।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वदेशी सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतिया ला रहा है। इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों में अन्य के साथ-साथ **अनुलग्नक-I** में वर्णित उपाय शामिल हैं।

(घ) दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, राज्य-वार स्थापित सौर क्षमता **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ड.) हरियाणा राज्य के लिए विचाराधीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

(i) प्रधान मंत्री- सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना:

योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर किए गए आवेदनों की संख्या	**पूरी की गई स्थापनाओं की संख्या**
1,88,808	30,625

(ii) पीएम-कुसुम

घटक-क के अंतर्गत परियोजनाएं (मेगावाट)		**घटक-ख (पंपों की संख्या)**		**घटक- ग – फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस)** **(पंपों की संख्या)**	
स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	सौरीकृत
158	14.61	2,27,655	1,57,073	12,899	0

(iii) अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं:

स्थान	**परियोजना का प्रकार**	**स्थापित क्षमता**
गाँव गोहाना, सोनीपत	बायो सीएनजी	3000 कि.ग्रा/दिन

(iv) ग्रीन हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट) कार्यक्रम के अंतर्गत, मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हरियाणा की उनकी पानीपत रिफाइनरी में प्रति वर्ष 10 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक परियोजना आवंटित की गई है।

अनुलग्नक-I

'नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता और उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3024 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

स्वदेशी सौर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य के साथ साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** भारत सरकार, **24,000** करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है, ताकि उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता हासिल की जा सके। इस योजना के अंतर्गत **48,337** मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए आबंटन पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी किए गए हैं।

(ii) **स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर):** एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख और ग, तथा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वेदशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) **सार्वजनिक खरीद में "मेक इन इंडिया" को वरीयता:** 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) अधिसूचित की थी, जिसमें अन्य के साथ-साथ उन सभी वस्तुओं और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान की गई थी जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता है और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है तथा यह अनिवार्य किया गया था कि केवल "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" ही उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने के लिए इस अनिवार्यता के साथ पात्र होंगे कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम **50%** होनी चाहिए।

(iv) **सौर पीवी सेलों, मॉड्यूलों, सोलर इन्वर्टरों और सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)लगाना:** सरकार ने सौर पीवी सेलों, मॉड्यूलों, सोलर इन्वर्टरों और सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) **सीमा शुल्क रियायत समाप्त करना:** एमएनआरई ने दिनांक **02.02.2021** से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा-शुल्क रियायत प्रमाणपत्र जारी करना समाप्त कर दिया है।

(vi) **सौर सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट:** सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माताओं के लिए दिनांक **23.07.2024** की अधिसूचना संख्या **30/2024**-सीमा शुल्क की सूची 41 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी है।

अनुलग्नक-II

'नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता और उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3024 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार स्थापित सौर क्षमता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित सौर ऊर्जा (मेगावाट में)
1	आंध्र प्रदेश	5523.28
2	अरुणाचल प्रदेश	14.85
3	असम	243.34
4	बिहार	411.14
5	छत्तीसगढ़	1535.84
6	गोवा	61.14
7	गुजरात	21904.55
8	हरियाणा	2177.01
9	हिमाचल प्रदेश	300.48
10	जम्मू और कश्मीर	74.49
11	झारखंड	200.36
12	कर्नाटक	10060.84
13	केरल	1792.34
14	लद्दाख	11.00
15	मध्य प्रदेश	5594.97
16	महाराष्ट्र	13336.82
17	मणिपुर	16.88
18	मेघालय	4.28
19	मिजोरम	31.39
20	नागालैंड	3.17
21	ओडिशा	723.64
22	पंजाब	1471.43
23	राजस्थान	32317.19
24	सिक्किम	7.56
25	तमिलनाडु	10823.98
26	तेलंगाना	5002.70
27	त्रिपुरा	29.11
28	उत्तर प्रदेश	3483.56
29	उत्तराखंड	835.72
30	पश्चिम बंगाल	320.62
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.92
32	चंडीगढ़	78.85
33	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	119.90
34	दिल्ली	352.60
35	लक्षद्वीप	6.57
36	पुदुचेरी	69.01
